न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :— रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ (R.A.S.)

प्रकरण संख्याः— 46/2020 वाद
जीसीएमएस नम्बरः— 2020/00196

चेनराम पिता नारायण जी डांगी जाति डांगी उम्र 27 साल निवासी सांगरिया तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।

— वादी

//बनाम//

1. पृथ्वीराज पिता भगवान जी डांगी जाति डांगी उम्र 50 साल निवासी सांगरिया तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
2. भूमिधारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा ।

—प्रतिवादीगण

दावा

अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थितिः— श्री लक्ष्मण सिंह सोलंकी, अधिवक्ता वादी

::निर्णय:: दिनांकः—07.08.2023

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादी ने एक दावा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजियात वाके मौजा सांगरिया हल्का पटवार हल्का बडौली माधोसिंह तहसील निम्बाहेडा की खाता संख्या 69 के खसरा संख्या 18 रकबा 0.23 हेक्टेयर लगानी 4.37 रुपये, खसरा संख्या 367 रकबा 0.27 हेक्टेयर लगानी 11.34 रुपये, खसरा संख्या 402 रकबा 0.29 हेक्टेयर लगानी 5.51 रुपये व खसरा संख्या 577 रकबा 0.24 हेक्टेयर लगानी 4.56 रुपये कुल किता—4 कुल रकबा 1.03 हेक्टेयर कुल लगानी 25.78 रुपये होकर स्थित है। जिसमें मुझ वादी का 1/2 हक हिस्सा है।

2. यह कि मौके पर हमारा अलग अलग कब्जा है और कब्जे अनुसार 1/2 हक हिस्से में काबिज होकर मैं वादी शान्तिपूर्ण तरिके से काश्त करता चला आ रहा हूं। मौके पर हमारे खेतों की ना तो निशानदेही कर रखी है और ना बाउण्ड्रीवाल बना रखी है और ना ही राजस्व रेकार्ड में अलग अलग बटवाडा कर रखा है। मेरे हक हिस्से का भाग राजस्व रेकार्ड में अलग दर्ज कर अलग लगानी कायम कर विधिवत बटवारा किया जाकर खाते की अलग अलग फण्टावणी की जावे। मौके पर आये दिन सी[illegible] को लेकर झगडा होता रहा है इसलिये मेरे हक हिस्से में प्रतिवादी क्रमांक 1 को [illegible] ना तो स्वयं करे ना किसी अन्य से करावें इसलिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द [illegible] जावे। यह कि 17/06/2020 को प्रतिवादी कमांक 1 [illegible] लडाई झगडा करने पर [illegible] हो गया जिससे वाद कारण उत्पन्न [illegible] वाद पेश किया जा रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:14:01 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया, प्रतिवादीगण को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया, बावजुद बाद तामिल वकील मय प्रतिवादी नम्बर 1 अनुस्थित, इसलिए इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश प्रदान किया गया।

4. प्रकरण में साक्ष्य एवं बहस के उपरान्त गुणावगुण के आधार पर दिनांक 24.05.2023 को वादी का दावा प्राथमिक डिक्री किया गया। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 1500/–रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिये गये कि वाके मौजा सांगरिया हल्का पटवार हल्का बड़ौली माधोसिंह तहसील निम्बाहेडा की खाता संख्या 69 के खसरा संख्या 18 रकबा 0.23 हेक्टेयर लगानी 4.37 रुपये, खसरा संख्या 367 रकबा 0.27 हेक्टेयर लगानी 11.34 रुपये, खसरा संख्या 402 रकबा 0.29 हेक्टेयर लगानी 5.51 रुपये व खसरा संख्या 577 रकबा 0.24 हेक्टेयर लगानी 4.56 रुपये कुल किता– 4 कुल रकबा 1.03 हेक्टेयर कुल लगानी 25.78 रुपये होकर स्थित है। जिसमें वादी का 1/2 हक हिस्सा है। वादग्रस्त आराजियात का बंटवारा राजस्व रेकार्ड में दर्ज अनुसार व मौके पर काबिज अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स किया जावे तथा वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 का 1/2 हक हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज अनुसार बंटवारा कर अलग किया जावें । तहसीलदार निम्बाहेडा प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में बटवारा प्रस्ताव वादी एवं प्रतिवादी की उपस्थिति में तैयार किया जाकर न्यायालय हाजा में पेश करें। राजस्थान काश्तकारी नियम 18 से 21 की पूर्णतः पालना की जावें। पहुंच मार्ग सुनिश्चित करते हुए फर्द विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करें। तहसीलदार निम्बाहेडा ने अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2023/990 दिनांक 13.07.2023 के माध्यम से फर्द विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जो माफिक आदेशानुसार है।

अतः वाद वादी कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि मौजा सांगरिया पटवार हल्का बड़ौलीमाधोंसिंह का बंटवारा फरिकेन के मध्य निम्नानुसार किया जाता हैः–

1.– श्री चैनराम दत्तक पुत्र नारायण जाति डांगी सा0 देह खातेदार।

आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	लगान (रूपये)
18	0.23	4.37
402	0.29	5.51
किता–2	कुल रकबा 0.52 हैक्टेयर	9.88 रूपये

2.– श्री पृथ्वीराज पुत्र भगवानलाल जाति डांगी सा0 देह खातेदार रहन बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टैयर)	लगान (रूपये)
367	0.27	11.34
577	0.24	4.56
किता–2	कुल रकबा 0.51 हैक्टेयर	15.90 रूपये

उपर्युक्तानुसार एवं संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। बैंक रहन सम्बन्धित खातेदार के हिस्से पर अंकित किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। नक्शा ट्रेस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 07.08.2023 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर न्यायालय निम्बाहेड़ा–जिला चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:14:01 IST
Reason: SelfAttested

7/8/23

(रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ)
सहायक कलक्टर,
निम्बाहेड़ा

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ (R.A.S.)

प्रकरण संख्याः– 46/2020 वाद
जीसीएमएस नम्बरः– 2020/00196

चेनराम पिता नारायण जी डांगी जाति डांगी उम्र 27 साल निवासी सांगरिया तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।

– वादी

//बनाम//

3. पृथ्वीराज पिता भगवान जी डांगी जाति डांगी उम्र 50 साल निवासी सांगरिया तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
4. भूमिधारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा ।

–प्रतिवादीगण

<u>दावा</u>

अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

पत्रावली आज वादी की और से अधिवक्ता श्री लक्ष्मणसिंह सोंलकी की उपस्थित में अन्तिम बहस हेतु प्रस्तुत हुई। प्रकरण में दिनांक 24.05.2023 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी जिसमें तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 1500/–रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिये गये कि वाके मौजा सांगरिया हल्का पटवार हल्का बड़ौली माधोसिंह तहसील निम्बाहेडा की खाता संख्या 69 के खसरा संख्या 18 रकबा 0.23 हेक्टेयर लगानी 4.37 रुपये, खसरा संख्या 367 रकबा 0.27 हेक्टेयर लगानी 11.34 रुपये, खसरा संख्या 402 रकबा 0.29 हेक्टेयर लगानी 5.51 रुपये व खसरा संख्या 577 रकबा 0.24 हेक्टेयर लगानी 4.56 रुपये कुल किता– 4 कुल रकबा 1.03 हेक्टेयर कुल लगानी 25.78 रुपये होकर स्थित है। जिसमें वादी का 1/2 हक हिस्सा है। वादग्रस्त आराजियात का बंटवारा राजस्व रेकार्ड में दर्ज अनुसार व मौके पर काबिज अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स किया जावे तथा वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 का 1/2 हक हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज अनुसार बंटवारा कर अलग किया जावें । तहसीलदार निम्बाहेडा प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में बटवारा प्रस्ताव वादी एवं प्रतिवादी की उपस्थिति में [illegible] न्यायालय हाजा में पेश करें। राजस्थान काश्तकारी नियम 18 से 21 की [illegible] पालना की जावे। पहुंच मार्ग सुनिश्चित करते हुए फर्द विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करे। तहसीलदार निम्बाहेडा ने अपने पत्र क्रमांक राजस्व/[illegible] दिनांक [illegible].07.2023 के माध्यम से फर्द विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय को प्रस्तुत किया। तहसीलदार निम्बाहेडा से प्राप्त फर्द विभाजन प्रस्ताव माफिक आदेशानुसार होने से स्वीकार योग्य है। फर्द विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी का वाद अन्तिम डिक्री किया जाना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:14:01 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

अतः वाद वादी कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि मौजा सांगरिया पटवार हल्का बड़ौलीमाधोंसिंह का बंटवारा फरिकेन के मध्य निम्नानुसार किया जाता है:–

1.– श्री चैनराम दत्तक पुत्र नारायण जाति डांगी सा0 देह खातेदार।

आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	लगान (रूपये)
18	0.23	4.37
402	0.29	5.51
किता–2	कुल रकबा 0.52 हैक्टेयर	9.88 रूपये

2.– श्री पृथ्वीराज पुत्र भगवानलाल जाति डांगी सा0 देह खातेदार रहन बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टैयर)	लगान (रूपये)
367	0.27	11.34
577	0.24	4.56
किता–2	कुल रकबा 0.51 हैक्टेयर	15.90 रूपये

उपर्युक्तानुसार एवं संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। बैंक रहन सम्बन्धित खातेदार के हिस्से पर अंकित किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। नक्शा ट्रेस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

आज तारीख 07.08.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

7/8/23

(रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ)
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:14:01 IST
Reason: SelfAttested